न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 06/2021 अपील (GCMS/2021/86)
पंजीयन दिनांक - 20.09.2021
आदेश दिनांक - 29.11.2022

श्री सुबहान अली अहमद पिता स्व. श्री जैनुल हक, जाति मुसलमान निवासी 784/45, कालका माता रोड़, पहाडा, प्रतापनगर, उदयपुर, जिला उदयपुर।

-अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर (राज.)

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री मनोज कोठारी - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के आदेश क्रमांकः/न्याय/आर्म्स/2021/8989 दिनांक 19.04.2021

निर्णय

दिनांक 29.11.2022

यह अपील अपीलर्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-18 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के आदेश क्रमांकः/न्याय/आर्म्स/2021/8989 दिनांक 19.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

- अपीलार्थी श्री सुबहान अली अहमद पिता स्व. श्री जैनुल हक द्वारा पैतृक शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2020 को जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आयुध अधिनियम 2016 के अंतर्गत संबंधित विभागों से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 26.01.2021 अनुसार आवेदक को पैतृक शस्त्र अनुज्ञापत्र हस्तांतरण कर शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया जाना उचित नहीं होने से

प्रस्तुत आवेदन जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा आदेश क्रमांकः/न्याय/आर्म्स/ 2021/8989 दिनांक 19.04.2021 से आवेदक का आवेदन अस्वीकार किया जाकर खारिज किया कर दिया गया।

- उक्त आदेश से असंतुष्ट होने से अपीलार्थी द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम के न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष दिनांक 08.09.2021 को प्रस्तुत की। उक्त अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए यह अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर से अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ता दिनांक 21.11.2022 को उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।
- **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर संबंधित विभागों से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी (वि.शा.), उदयपुर, उपवन संरक्षक वन्यजीव, उदयपुर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गिर्वा द्वारा अपीलांट के पक्ष में रिपोर्ट जारी की है तथा जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर द्वारा भी रिपोर्ट अपीलांट के पक्ष में है, किन्तु रिपोर्ट के अन्त में बिना किसी कारण व वजह एवं बिना स्पष्टीकरण के अनुज्ञापत्र जारी किया जाना उचित नहीं है लिख देना अनुचित व अव्यवहारिक है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है जिसमे समस्त अण्डरटेकिंग स्वघोषणा की है, जिसका कोई काट्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अनुज्ञापत्र अपीलांट को दिया जाना उचित है। बिना किसी वैध कारण से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, किस कारण से उक्त अनुज्ञापत्र खारिज किया है इसका विवेचन पत्रावली में नही दिया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.01.2021 को रिपोर्ट के आधार पर माना है एवं उस दिनांक को सामान्य रूप से सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहता है। जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी का अवेदन बिना किसी आधार एवं नियमों के

विरूद्ध अस्वीकार कर दिया है। अतः उक्त आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें।

- **विद्वान राजकीय पेरोकर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।**
- **हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस, अपील मेमों में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।**
- उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2021 को पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जानी थी, जो अपीलार्थी द्वारा नही की गई तथा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के दुसरे दिन लोकडाउन हो जाने से निर्णय की प्रति दिनांक 03.09.2021 को प्राप्त हुई। उपरोक्त परिस्थितियों तथा अपीलार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र एवं अखण्डित शपथ पत्र के आधार पर न्यायहित में अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।
- पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी श्री सुबहान अली अहमद पिता स्व. श्री जैनुल हक ने पैतृक शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने बाबत आवेदन जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के समक्ष दिनांक 04.08.2020 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आयुध अधिनियम 2016 के अंतर्गत संबंधित विभागों से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 26.01.2021 अनुसार आवेदक को पैतृक शस्त्र अनुज्ञापत्र हस्तांतरण कर शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया जाना उचित नहीं होने से प्रस्तुत आवेदन जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा आदेश क्रमांकः/न्याय/आर्म्स/ 2021/8989 दिनांक 19.04.2021 से आवेदक का आवेदन अस्वीकार किया जाकर खारिज किया कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञापत्र हस्तांतरण हेतु प्रमुख कारण अंकित किया कि शस्त्र का पैतृक एवं कृषि भूमि अपने गांव में होना तथा अपीलांट की पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमे अपने चाचा व अन्य से

बंटवारें का अनबन है। चाचा द्वारा जान से मारने की धमकी वगैरह दी जाती है, स्वयं की रक्षार्थ लाईसेंस का होना अत्यंत आवश्यक है।

- उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आदेश के अवलोकन से यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आयुध अधिनियम 2016 के अंतर्गत संबंधित विभागों से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 26.01.2021 अनुसार आवेदक को पैतृक शस्त्र अनुज्ञापत्र हस्तांतरण कर शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया जाना उचित नहीं होने से प्रस्तुत आवेदन जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा आदेश क्रमांकः/न्याय/आर्म्स/ 2021/8989 दिनांक 19.04.2021 से आवेदक का आवेदन अस्वीकार किया जाकर खारिज किया कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया उसमें कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि प्रकट नही होती है, उक्त आदेश विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत उचित है।
- उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर का आदेश दिनांक 19.04.2021 में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं होने से **अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है** और **जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक** 19.04.2021 **यथावत रखा जाता है।** पत्रावली शुमार फैसल होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर